न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

ज्ञानचन्द वगै0 बनाम् शशिकान्ता वगै0
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट 1955
मुकदमा नं. 16/2018

चाहे गये रास्ते की दूरी प्रस्तावित लघुत्तम रास्ते की दूरी से 470 मीटर की अधिक दूरी पर स्थित है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते की दूरी 700 मीटर है। जो तहसीलदार श्रीमाधोपुर के पत्रांक 1644/राजस्व / 2018 दिनांक 14.09.2018 के द्वारा प्राप्त वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शे में दर्शित प्रस्तावित लघुत्तम रास्ते की दूरी से वांछित प्रचलित रास्ते की दूरी काफी अधिक है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (ए) में यह स्पष्ट वर्णित किया गया है कि एक काश्तकार को अपने खेत तक कृषि कार्य हेतु आवागमन के लिए सर्वाधिक लघुत्तम व निकटतम रास्ता कृषि भूमि से उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (ए) के तहत चाहा गया रास्ता लघुत्तम व निकटतम नहीं होने से दिया जाना सम्भंव नहीं है। प्रार्थी भू. अभिलेख निरीक्षक अजीतगढ़ द्वारा प्रस्तावित लघुत्तम व निकटतम रास्ते को (जो नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शित किया गया है) को गैर मुमकीन रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने हेतु पृथक से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र रहेगा। वकील प्रार्थी अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को सिद्ध करने में पूर्णतया असफल रहा है। अतः वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सिद्ध नहीं होने से प्रार्थना पत्र को न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित प्रतित नहीं होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाये जाने पर अस्वीकार कर खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

(लक्ष्मीकान्त गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर(सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Gupta
Date: 2020.09.29 11:00:08 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में या
	ज्ञानचन्द वगै0 बनाम् शशिकान्ता वगै0 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट 1955 मुकदमा नं. 16/2018 यह निर्णय आज दिनांक 11.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। (लक्ष्मीकान्त गुप्ता) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर(सीकर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Gupta
Date: 2020.09.29 11:00:08 IST
Reason: SelfAttested